"प्ररूप 6ख

[*नियम 26ख देखिए*]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र

मैं.....(निर्वाचक का नाम),.....

..... (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम) में नामांकित हूं और मेरा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र

सं0 | | | | | | | | | | | | | | | | | है।

मैं निर्वाचक नामावली में मेरी प्रविष्टि के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं:-

(समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)

(i) ☐ आधार सं0 | | | | | | | | | | | | | | | या

(ii) ☐ मैं आधार सं0 प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। इसलिए मैं निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करता हूँ :-

(कृपया समुचित बॉक्स में से किसी एक पर सही का निशान लगाऐं)

- ☐ मनरेगा जॉब कार्ड
- ☐ बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक
- ☐ श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ☐ चालन अनुज्ञप्ति
- ☐ पैन कार्ड
- ☐ एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- ☐ भारतीय पासपोर्ट
- ☐ छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज़
- ☐ केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी छायाचित्र के साथ सेवा पहचान कार्ड
- ☐ संसद् सदस्यों / विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी शासकीय पहचान पत्र
- ☐ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान परिचय-पत्र (यूडीआईडी)

निर्वाचक के हस्ताक्षर : .....

निर्वाचक का नाम : .....

ई-मेल पता/मोबाइल सं0 : .....

स्थान : .....

तारीख : .....